**प्रेस नोट          पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद          दिनांक 24.12.2025**

## थाना भोजपुर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई रु 10,000 /- की धनराशि वापस करायी गई।

आज दिनांक 24.12.2025 को साइबर सेल थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक निवासी थानाक्षेत्र भोजपुर, गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि रु 10,000/- में से कुल रु 10,000/- आवेदक को वापस कराये गये।

### कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना भोजपुर गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक के साथ 10,000 रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना भोजपुर, कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 24.12.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की कुल 10,000/- धनराशि को वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना भोजपुर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

### कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल टीम, थाना भोजपुर।

## थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

दिनांक 10.12.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी की पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष घर से बिना बताये चली गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल धारा-137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीडिता की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा मेडीकल रिपोर्ट व बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व 4(2) पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी जिसमें अभियुक्त उदित शर्मा

पुत्र पवन कुमार शर्मा निवासी वैष्णो विहार फेस-3 थाना कोतवाली चंदौसी जनपद सम्भल का नाम प्रकाश में आया।

आज दिनांक 24.12.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त उदित शर्मा पुत्र पवन कुमार शर्मा निवासी वैष्णो विहार फेस-3 थाना कोतवाली चंदौसी जनपद सम्भल उम्र करीब 21 वर्ष को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं करीब 01 वर्ष पहले मोदीनगर में गार्ड की नौकरी करता था तथा उसी दौरान मेरी जान पहचान पीडिता से हो गयी थी। मैं पिछले काफी समय से पीडिता से फोन पर बातचीत कर रहा था, कुछ समय पहले मैं गाजियाबाद आया था, मौका पाकर मैं पीडिता को अपने साथ लेकर चला गया तथा मैंने पीडिता के साथ गलत काम किया था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

उदित शर्मा पुत्र पवन कुमार शर्मा निवासी वैष्णो विहार फेस-3 थाना कोतवाली चंदौसी जनपद सम्भल उम्र करीब 21 वर्ष

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

## कोहरे के दृष्टिगत सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान

पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था/यातायात), पुलिस उपायुक्त–यातायात के पर्यवेक्षण में शीत ऋतु के दौरान घने कोहरे के कारण घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं संभावित जनहानि को कम किए जाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के अंतर्गत एन0एच–09 एवं दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे अनधिकृत/असुरक्षित रूप से खड़े वाहनों को हटवाया गया, जिससे यातायात प्रवाह को सुचारु किया जा सके तथा दुर्घटनाओं की संभावनाओं में कमी लाई जा सके। अभियान के दौरान गलत तरीके के सड़क किनारे खड़े कुल 76 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई।

इसके अतिरिक्त, सड़क सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु वाणिज्यिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगवाए गए, ताकि कोहरे की स्थिति में अन्य वाहन चालकों को दूर से ही वाहनों की स्पष्ट दृश्यता प्राप्त हो सके। साथ ही, वाणिज्यिक वाहन चालकों को कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों जैसे धीमी गति से वाहन चलाना, पर्याप्त दूरी बनाए रखना, फॉग लाइट/हेडलाइट का सही उपयोग करना एवं अनावश्यक रूप से सड़क किनारे वाहन खड़ा न करने के संबंध में भी जागरूक किया गया।

उक्त कार्यक्रम में यातायात निरीक्षक श्री संतोष चौहान एवं श्री अजय कुमार सहित अन्य यातायात पुलिस कर्मी उपस्थित रहे।

**अपील:-**

यातायात पुलिस, गाजियाबाद द्वारा समस्त वाहन चालकों से अपील करती है, कि शीत ऋतु एवं कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। अत्यधिक कोहरे की स्थिति में अनावश्यक यात्रा से बचें, निर्धारित गति सीमा का पालन करें, वाहन के सभी लाइट/रिफ्लेक्टर सही स्थिति में रखें तथा सड़क किनारे असुरक्षित रूप से वाहन खड़ा न करें। आपकी सतर्कता एवं सहयोग से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाकर सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।

**यातायात पुलिस द्वारा इस प्रकार के अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे।**

***सड़क सुरक्षा - जीवन रक्षा***

## कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा समस्त थानों पर 'वादी संवाद दिवस' आयोजित किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। जिसके क्रम में आज दिनांक **24.12.2025** दिन **बुधवार** को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर पूर्व की तरह **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया।

**आज दिनांक 24.12.2025 को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-**

| क्र.सं. | जोन | संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | नगर | 120 |
| 2. | ट्रांस हिण्डन | 70 |
| 3. | ग्रामीण | 85 |
| **कुल कमिश्नरेट गाजियाबाद** | | **275** |

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त हो । यह नई पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी । कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा जनकेन्द्रित पुलिसिंग के दृष्टिगत भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार जारी रहेंगे ।

## पुलिस लाइन्स स्थित पुलिस अस्पताल परिसर में डायग्नोस्टिक सेंटर का भव्य शुभारंभ

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की पुलिस लाइन्स स्थित पुलिस अस्पताल परिसर में **वामा सारथी– उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन** के सहयोग से **अपोलो डायग्नोस्टिक्स** द्वारा संचालित **डायग्नोस्टिक सेंटर** का भव्य शुभारंभ किया गया ।

कार्यक्रम का उद्घाटन श्री केशव कुमार चौधरी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय एवं अपराध), पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा किया गया। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त लाइन्स श्री निमिष पाटील भी उपस्थित रहे।

उद्घाटन के पश्चात अधिकारियों द्वारा डायग्नोस्टिक सेंटर की आधुनिक स्वास्थ्य जाँच सुविधाओं का अवलोकन किया गया। यह केंद्र पुलिसकर्मियों एवं उनके परिजनों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं किफायती स्वास्थ्य जाँच सेवाएँ उपलब्ध कराएगा, जिससे पुलिस परिवारों के स्वास्थ्य कल्याण को मजबूती मिलेगी।

कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री केशव कुमार चौधरी ने संबोधन में कहा कि पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की देखभाल सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस प्रकार की पहल पुलिस परिवारों के मनोबल को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इस अवसर पर पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, वामा सारथी के पदाधिकारी, अपोलो डायग्नोस्टिक्स के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

## थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 25,000/-रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल पेपर कटर बरामद ।

**गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरण:-** दिनांक 08.10.2025 को थाना लिंकरोड पर वादी बृजपाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी ग्राम आजमगढ़ उर्फ रतनगढ़ थाना शिवाला कला जिला बिजनौर ने लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरे भाई योगेश पुत्र स्व0 गोपाल निवासी ग्राम आजमगढ उर्फ रतनगढ थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर हाल निवासी – सरस्वती कॉलोनी ग्राम साहिबाबाद

थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष की पत्नी पूजा के आशीष पुत्र उपेंद्र सिंह से अवैध संबंध थे। जिसका मेरे भाई योगेश ने विरोध किया अवैध संबंधों के चलते पत्नी पूजा और आशीष व उसके दोस्त चंद्रपाल ने मिलकर मेरे भाई की हत्या कर शव को पिलखुवा के जंगल में फैक दिया और गुमराह करने के लिए दिनांक 02.10.2025 को थाना लिंकरोड पर योगेश के गुमशुदा होने की झूठी गुमशुदगी दर्ज करा दी और बताया कि दिनांक 24.09.2025 को मेरे पति योगेश से फोन के द्वारा बात हुई और बताया कि में अपना मोटर साइकिल से हापुड़ जा रहा हूँ, जिसके बाद मेरे पति का मोबाइल फोन लगातार बन्द जा रहा है। उपरोक्त घटनाक्रम में थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा थाना पिलखुआ क्षेत्र में सरस्वती मेडिकल कालेज पिलखुआ हापुड के पास जंगल से मृतक योगेश के बरामद शव का कंकाल, टी शर्ट व मोटर साइकिल से मृतक योगेश की पहचान हुई। जिसके क्रम में दिनांक 11.10.2025 को थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा वादी के भाई की हत्या की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त आशीष पुत्र उपेन्द्र सिंह व 01 अभियुक्ता पूजा पत्नी स्व0 योगेश कुमार तथा दिनांक 12.10.2025 को हत्या की घटना कारित करने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त प्रवीन पुत्र सुरेश निवासी मौहल्ला चौक कंकरखेडा थाना कंकरखेडा जिला मेरठ उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

उपरोक्त क्रम में दिनांक 23/24.12.2025 की रात्रि को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 25,000/-रुपये का इनामी अभियुक्त चन्द्रपाल सिंह पुत्र जगदीश उर्फ बलंते निवासी ग्राम कैरोखर थाना ककरवई जनपद झांसी उम्र करीब 28 वर्ष को टाटा पार्किंग के पास साहिबाबाद से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल पेपर कटर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 140(1), 103(1), 238, 61(2) बीएनएस में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरणः-**

गिरफ्तार अभियुक्त चन्द्रपाल सिंह पुत्र जगदीश उर्फ बलंते उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त और आशीष वर्ष 2012 से दोस्त है। आशीष और अभियुक्त आनंदा फैक्ट्री पिलखुआ में तथा वर्ष 2012 से 2016 तक कर्नाटक में साथ काम किया था उसके बाद गाजियाबाद में आकर ग्राम साहिबाबाद में रहकर काम करने लगे, आशीष पुताई और पुट्टी का काम करता था और अभियुक्त चिनाई, प्लास्टर का काम करता था। इसीक्रम में अभियुक्त व आशीष दोनों पिलखुआ में रहने लगे थे। पूजा तथा योगेश साहिबाबाद में ही किराये के मकान में रहते थे। आशीष पूजा से प्यार करता था और पूजा से मिलता भी था, पूजा से मिलने का योगेश विरोध करता था। इसी वजह से पूजा और आशीष ने योगेश को रास्ते से हटाना चाहते थे। आशीष और पूजा ने योगेश को मरवाने के लिये अभियुक्त से कहा था कि तुमको 01 लाख रुपये देगे, अभियुक्त योगेश की हत्या करने के लिये तैयार हो गया और योजना के मुताबिक दिनांक 24.09.2025 को पूजा को अपने मुकदमे की तारीख पर बिजनौर जाना था, योजना के मुताबिक सुबह योगेश ने अपनी पत्नी पूजा को हापुड़ से बिजनौर के लिये बस मे बैठाया था और योजना थी कि वापसी में पूजा सरस्वती मेडिकल कॉलेज पिलखुआ के सामने देर शाम बस से उतरेगी और फोन करके योगेश को बुलाएगी। अभियुक्त और प्रवीण, प्रवीण की मोटर साइकिल से सरस्वती मेडिकल कॉलेज पिलखुआ पर आ गये। योजना के मुताबिक पूजा ने बिजनौर से वापस आकर करीब रात 09.00 बजे अपने फोन से योगेश को फोन किया कि वह बिजनौर से सरस्वती मेडिकल कॉलेज पिलखुआ आ गयी है, मुझे लेने यही आ जाओ। योगेश का इन्तजार कर पूजा ने आशीष को फोन किया, आशीष मेला में आ गया। वहीं पर अभियुक्त और प्रवीण भी आ गये। रामलीला मेला से योजना के मुताबिक पूजा और आशीष मिनी मेट्रो रिक्शा से सरस्वती कॉलेज के पास मेन रोड़ पंचर की दुकान के पास आकर खडे हो गये प्रवीण और अभियुक्त, प्रवीण की मोटरसाइकिल से पेट्रोल पम्प पर खडे हो गये कुछ देर बाद समय करीब 10.00 बजे पूजा ने पुनः योगेश को फोन किया योगेश ने कॉल रिसीव नही किया और कुछ समय बाद योगेश अपनी मोटर साइकिल बजाज डिस्कवर से पेट्रोल पंप के सामने होता हुआ सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास, जहां पूजा व आशीष खडे थे, पहुँच गया। योगेश, पूजा को आशीष के साथ खडा देखकर नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा-सुनी करते हुये आशीष से हाथापाई करने लगा पीछे से अभियुक्त और प्रवीण मोटरसाइकिल से आ गये थे और आते ही अभियुक्त ने अपने हाथ में लिये लोहे के चाकूनुमा कटर से योगेश की गर्दन पर वार कर दिया। जिससे उसकी गर्दन से खून बहने लगा, पूजा और आशीष ने योगेश के दोनों हाथ पकड़ लिये अभियुक्त ने पुनः वार किया उसी दौरान योगेश छूटकर बचने के लिये जंगल की तरफ भागा पूजा ने कहा पकडो आज इसका काम खत्म कर दो, पूजा और प्रवीण आने जाने वालो लोगों की निगरानी कर रहे थे। आशीष और अभियुक्त, योगेश के पीछे जंगल की

तरफ भागे अन्दर जाकर योगेश को पकड़ लिया। करीब आधा घंटे बाद आशीष और अभियुक्त जंगल की तरफ से योगेश की हत्या कर वापस आ गये। हत्या में प्रयुक्त लोहे के चाकूनुमा कटर को अभियुक्त ने वही जंगल में छुपा दिया था। अभियुक्त 05 हजार रुपये लेकर वापस पिलखुआ की तरफ आ गया था लेकिन योगेश की मोटरसाइकिल घटनास्थल पर ही खडी रह गयी थी। आशीष और पूजा, प्रवीण के साथ प्रवीण की मोटरसाइकिल से लालकुआ तक गये और प्रवीण को 1500/- रुपये देकर वापस कर दिया। प्रवीण की बहन भी पिलखुआ में रहती है और प्रवीण अपनी बहन के यहां चला गया था और सभी को बताया गया था कि इसके बारे में कोई चर्चा नही करेगा, हत्या से बचने के लिये योजना के अनुसार पूजा ने अपनी पति की गुमशुदगी थाना लिंक रोड पर लिखा दी थी। घटना के दूसरे दिन दिनांक 25.09.2025 को आशीष पुनः घटनास्थल पर यह देखने गया था कि वहां किसी को जानकारी हुई है या नही, मृतक योगेश की मोटरसाइकिल उसी प्रकार घटनास्थल पर ही खडी छोड़ दी तथा जिस पेपरकटर से योगेश की हत्या की थी वह अभियुक्त ने एक झाड़ी में छिपाकर रख दिया था। जिसे अभियुक्त की निशानदेही से बरामद कर लिया गया है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

चन्द्रपाल सिंह पुत्र जगदीश उर्फ बलंते निवासी ग्राम कैरोखर थाना ककरवई जनपद झांसी उम्र 28 वर्ष

**बरामदगी का विवरणः-**

हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल पेपर कटर बरामद।

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-**

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर हत्या की घटना कारित करने के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।